हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

आवश्यक सूचना

दिनांक: 20–07–2024

(Tablet distribution scheme 2023-24 for the Digital Empowerment of youth studied in Uttar Pradesh in Session – 2023-24)

टैबलेट फोन वितरण से सम्बन्धित सूचना

महाविद्यालय में अध्ययनरत **एम0ए0, एम0कॉम0 एवं एम0एस–सी0 द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर** (सत्र 2023–24) के संस्थागत **छात्र–छात्राओं** को सूचित किया जाता है **मुख्य विकास अधिकारी के सूचना/आदेशानुसार, स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण** योजना के अन्तर्गत जिन **छात्र–छात्राओं** ने इस संस्था या किसी अन्य संस्था से पूर्व में स्मार्ट फोन प्राप्त कर लिया है, वे स्नातकोत्तर कक्षा में टैबलेट प्राप्ति के हकदार नहीं हैं (आदेश की प्रति संलग्न है)। अतः ऐसे छात्र–छात्रा जिन्होंने पूर्व में स्मार्ट फोन प्राप्त करने के बावजूद **दिनांक 28 एवं 29 जून 2024** को **स्नातकोत्तर** में टैबलेट प्राप्त कर लिया है, वे अपना टैबलेट महाविद्यालय को सूचना तिथि के 10 दिन के अंदर वापस कर दें। अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रो0 (बिरेन्द्र कुमार निर्मल)
नोडल अधिकारी, स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम

प्रो0 (रजनीश कुँवर)
प्राचार्य

प्राचार्य
हरिश्चन्द्र पी० जी० कालेज
वाराणसी

1:54 85%

digishakti tablet...

44	MAHAVIDYALAYA [illegible] PARSARA, VARANASI	[illegible]	[illegible]	3
45	SUNBEAM WOMEN'S COLLEGE VARUNA CENTRAL JAIL ROAD, SIKRAUL VARANASI	[illegible]	Dr. Rajeev Singh [illegible]	4
46	BHU CAMPUS, VARANASI	[illegible]	[illegible]	1013
			कुल	10135

उक्त संस्थानों को आवंटित कुल 10135 टैबलेट [illegible] सूची के अनुसार [illegible] संस्थानों के नोडल अधिकारियों/प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान को आवंटित टैबलेट उपायुक्त उद्योग, वाराणसी से समन्वय स्थापित कर **दिनांक 19, 20 एवं 21 जून, 2024** को प्रातः 10:30 बजे से जे०पी० मेहता नगर निगम इन्टर कालेज वाराणसी से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा **प्राप्त करने के 07 कार्यदिवस में वितरण सुनिश्चित करेंगे।** प्रत्येक वितरण [illegible] फोटोग्राफ (वितरण स्थल, स्टेज, बैठे हुए छात्र/छात्राओं, वितरण के समय आदि) तथा [illegible]

[illegible] पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। संस्थानों द्वारा टैबलेट का वितरण मा० प्रभारी मंत्री/मा० [illegible]/मा० विधायक/मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करेंगे। [illegible] उक्त संस्थानों के प्रधानाचार्यों/डिजीशक्ति पोर्टल हेतु नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता [illegible] योजनान्तर्गत जारी शासनादेशों का गहनता से अध्ययन कर निर्गत निर्देशों का अनुपालन एवं यूपीडेस्को द्वारा दिनांक 22.11.2023 को निर्गत आदेशानुसार दिनांक 28.11.2023 से नवीन प्रक्रिया के अनुसार संस्थान अपने टैबलेट पर Google Play Store से Digishakti Mapper App इन्सटॉल कर अथवा यदि पूर्व से इन्सटॉल है, तो उसे अपडेट कर उपकरण की आई०एम०ई०आई० नम्बर से छात्र–छात्राओं की QR Code को मैप करना तथा वितरण कार्यक्रम के समय QR Code अथवा आई०एम०ई०आई० स्कैन कर Digishakti Mapper App में दिये गये ऑप्शन से प्रत्येक विद्यार्थी का टैबलेट सहित एक फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। टैबलेट सहित विद्यार्थी का Digishakti Mapper App में फोटो अपलोड [illegible] बिना वितरण अपडेट नहीं किया जा सकता है। डिजीशक्ति पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए कार्यक्रम हेतु निर्धारित दिनांक को उक्त नामित पर्यवेक्षण नोडल अधिकारी की उपस्थिति में पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराते हुए वितरित टैबलेट की हस्ताक्षर सहित सूची की सत्यापित प्रति निर्धारित प्रारूप पर नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षण नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से स्वयं हस्ताक्षरित कर कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, लहरतारा, वाराणसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात Transaction Menu के अन्तर्गत दिये गये विकल्प Receiving Status Update के माध्यम से Distribution Marking करना सुनिश्चित करेंगे। हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद/सूची की पी०डी०एफ० भी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संस्थान में अध्ययनरत छात्रों द्वारा उस संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान के माध्यम से योजनान्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट दोबारा प्राप्त नहीं किया जा रहा हो ऐसा करना संज्ञेय अपराध माना जायेगा। इस महत्वपूर्ण योजना के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है अथवा अनियमितता पायी जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान के प्रमुख/निदेशक/प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी का होगा।

[illegible]

(हिमांशु [illegible])

मुख्य [illegible]

कार्यालय : मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी

पत्रांक [illegible] /जि०उ०के०(वा०)/डिजी शक्ति/2024–25/दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[illegible] महोदय, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

[illegible] (वित्त एवं राजस्व), वाराणसी।

[illegible] उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित संस्थानों में वितरण कार्य का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

[illegible] शिक्षा अधिकारी, वाराणसी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

[illegible] नोडल अधिकारी, वाराणसी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

[illegible] अधिकारी, डिजीशक्ति, काशी विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी को निर्देशित [illegible] है कि सम्बन्धित कालेज को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें कि पर्याप्त कर्मचारियों [illegible] एवं वाहन के साथ उपस्थित रहकर उपरोक्त टैबलेट प्राप्त करना तथा अधिकतम दिनांक 20.02.2024 [illegible] विद्यार्थियों का वितरण कराना सुनिश्चित करें।

[illegible] उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, वाराणसी।

[illegible] सिंह [illegible] श्री राजीव कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार सहायक प्रबन्धक श्री [illegible] [illegible] जि०उ०प्रो०उ०वि०के० वाराणसी को निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक [illegible] जून 2024 को [illegible]/संस्थानों को टैबलेट वितरण करना सुनिश्चित करें।

मुख्य [illegible] अधिकारी

[illegible]